

सीपी राधाकृष्णन उप-राष्ट्रपति चुने गए

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने यह चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बी. सुधर्शन रेड्डी को हराकर जीता, जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था।

- चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए और मतदान प्रतिशत 98.2% रहा।

सी.पी. राधाकृष्णन

- उन्होंने झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। पेशे से वे कृषविशेषज्ञ (Agriculturist) और उद्योगपति हैं और तमिलनाडु से तीसरे नेता हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला।
- वे कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं।

भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है (अनुच्छेद 63)।
- **निर्याचन और पात्रता:** उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों द्वारा सांविधिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) के माध्यम से किया जाता है। उपराष्ट्रपति कम से कम 35 वर्ष का, भारत का नागरिक और राज्यसभा सदस्य बनने के लिये योग्य होना चाहिये।
- **कार्यकाल और रक्ति:** पाँच वर्ष की अवधि के लिये कार्य करता है, जिसमें एक उत्तराधिकारी के निर्याचति होने तक पद पर बने रहने की संभावना शामिल है।
- **मुख्य भूमिका:** वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष (ex-officio Chairman) के रूप में कार्य करते हैं।
 - राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रक्ति होने की स्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 65)।
- **निर्यासन:** राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर तथा लोकसभा की स्वीकृति प्राप्त कर, 14 दिनों का नोटिस देकर हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 67)।

भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कुछ वशिष्ट तथ्य

- केवल डॉ. एस. राधाकृष्णन (प्रथम एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति, दोनों बार निर्यासिध निर्याचति) और मोहम्मद हामदि अंसारी (13वें एवं 14वें उपराष्ट्रपति, 2007-2017) ही लगातार दो कार्यकाल तक इस पद पर रहे हैं।
- डॉ. एस. राधाकृष्णन के अतिरिक्त एम. हदियतुल्लाह (7वें उपराष्ट्रपति) और डॉ. शंकर दयाल शर्मा (9वें उपराष्ट्रपति) भी निर्यासिध निर्याचति हुए थे।
- कृष्णकांत (10वें उपराष्ट्रपति, 1997-2002) पहले और एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान नदिन हुआ।
- न्यायमूर्ति मोहम्मद हदियतुल्लाह भारतीय इतिहास में ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया।

भारत के उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद

उत्पत्ति

इस पद को अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 63-71

निर्वाचन

अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित

“इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य + मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधायिकाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल के विपरीत)”

“उप-राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव आयोजित कराने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित है (अनुच्छेद 324)”

योग्यता

भारत का नागरिक- न्यूनतम आयु 35 वर्ष

प्रथम तथा वर्तमान उप राष्ट्रपति

डॉ एस राधाकृष्णन; जगदीप धनखड़

कार्यकाल

5 वर्ष; पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र

पद रिक्तता

- उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग-पत्र दे सकता है
- राज्यसभा के सदस्यों (सभी तत्कालीन) के प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा के सदस्यों की सहमति (साधारण बहुमत) के आधार पर हटाया जा सकता है
 - ▶ इसे हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है
- संविधान में इसे पद से हटाने के संबंध में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है

शक्तियाँ

- राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष- शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में (अधिकतम 6 माह)- जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो

“यह अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के पद से भिन्न है क्योंकि अमेरिका का उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है”

“कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है”



PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/cp-radhakrishnan-elected-as-vice-president>

